

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
16.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. डॉ० पायल बनर्जी

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।


निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।


विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03. शिक्षकों द्वारा ऑन लाईन/ऑफ लाईन FDP/Orientation/STP/Industrial Training आदि के कार्येत्तर अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षकों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये लाईन/ऑफ लाईन FDP/ Orientation/STP/Industrial Training में भाग लेने संबंधी कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की जाय।


06/04/2023


(1)
06/04/23

प्रदत्त उपरोक्तानुसार अनुमति को भविष्य में दृष्टान्त न बनाया जाय और न ही बिना अनुमति के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बिना अनुमति के FDP/Orientation/STP/Industrial Training आदि में भाग लेने वाले शिक्षकों को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ/पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है, ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी को पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

विषय क्र. 04. एम.एससी. माईक्रोबायोलॉजी में प्रवेशित छात्रा के शुल्क वापसी आवेदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आवेदिका को विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-23 के प्रावधानानुसार केवल सुरक्षा निधि लौटा दिया जाय तथा शेष राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा रहने दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि तथ्यात्मक जानकारी एवं अध्यादेश के प्रावधानों की जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित कर दिया जाय।

विषय क्र. 05. भारतीय पुनर्वास परिषद के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग में संचालित बी.एड. विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता एवं बी.एड. विशेष शिक्षा-श्रवण वाधिता पाठ्यक्रमों की परीक्षा Annual Pattern में करने विषयक।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय पुनर्वास परिषद के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग में संचालित बी.एड. विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता एवं बी.एड. विशेष शिक्षा-श्रवण वाधिता पाठ्यक्रमों की परीक्षा Annual Pattern में कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं उल्लेखित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ वार्षिक करायें जाने संबंधी प्रावधान किये जाय।


विषय क्र. 06. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और State Planning Commission, Chhattisgarh के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और State Planning Commission, Chhattisgarh के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।


06/04/2023


06/04/23 (2)

- विषय क्र. 08. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Kalinga University, Raipur के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Kalinga University, Raipur के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 09. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bharti Vishwavidyalaya, Durg के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bharti Vishwavidyalaya, Durg के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 10. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Sherlock Institute of Forensic Science India Pvt. Ltd. New Delhi के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Sherlock Institute of Forensic Science India Pvt. Ltd. New Delhi के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 11. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और State Forensic Science Laboratory, Raipur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और State Forensic Science Laboratory, Raipur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 12. शैक्षणिक पदों हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन को विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष रखे जाने संबंधी।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तावित विज्ञापन रोलिंग भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापित कर दिया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग हेतु प्रस्तावित पदों के लिए शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुसार सुझाये गये विशेषज्ञता को वांछनीय अर्हता के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय।
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि सभी अधिष्ठातागण प्रस्तावित विज्ञापन प्रारूप का भली-भांति अवलोकन करेंगे एवं अपनी सहमति तथा हस्ताक्षर प्रशासन शाखा के अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यदि किसी अधिष्ठाता के द्वारा विज्ञापन प्रारूप में संबंधित विद्यापीठ के आवश्यकतानुसार कोई संशोधन सुझाया जाता है तो उसे भी शामिल करने संबंधी कार्यवाही की जाय।
- विषय क्र. 13. वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यात्रा अनुदान के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित दिशा-निर्देश का बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधन सहित अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 14. बी.टेक. अंडर एनईपी-2020 अध्यादेश के sub-Clause 4.4.1, 4.4.2, Clause 7.0, Clause 10.6 एवं 11.0 में संशोधन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि बी.टेक. अंडर एनईपी-2020 अध्यादेश के sub-Clause 4.4.1, 4.4.2, Clause 7.0, Clause 10.6 एवं 11.0 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।



06/04/2023


 (3)
06/04/23

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

- अ.अ.वि.क्र.-1 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष समाज कार्य विभाग की शिक्षिका डॉ० अर्चना यादव, सहायक प्राध्यापक के ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित न होने की शर्त पर डॉ० अर्चना यादव को अनुमति प्रदान कर दी जाय।
- अ.अ.वि.क्र.-2 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष बैठक दिनांक 30.03.2023 विषय क्रमांक-3 के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव के टैग लाईन/टाईटल के संबंध में चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना का नाम "जीजीव्ही श्रवण ऑनलाईन" रखा जाय।
- अ.अ.वि.क्र.-3 विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थायी समिति की बैठकों में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-विकास स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित रहेंगे एवं बैठकों में भाग लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष